बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए "परामर्श नीति" (Consultancy Policy) की स्वीकृति।

बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं कम से कम एक पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है। वर्तमान में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान कार्यशील है। इन तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में परंपरागत विषयों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग के अतिरिक्त नवीनतम एवं उभरते हुए तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी इत्यादि में भी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर योग्य एवं तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन भी किया गया है।

2. विभिन्न जिलों में स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान शिक्षा, विज्ञान एवं शोध में अब केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन करने की स्थिति में हैं। यहाँ उपलब्ध मानव संसाधन एवं संस्थान के आधारभूत संरचना का कुशलतम उपयोग के लिए आवश्यक है कि इन संस्थानों का समन्वय सरकार के विभिन्न विभागों, निजी संस्थानों, उद्योगों इत्यादि के साथ सुनिश्चित किया जाए। राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थान विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं अन्य उच्च रैंकिंग प्राप्त संस्थानों के मानक को पूरा कर सकें, इसलिए इन तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए परामर्श नीति का निरूपण देश के अग्रणी तकनीकी शिक्षा संस्थानों की तर्ज पर किये जाने की आवश्यकता है।

3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं० 5688, दिनांक 09.08.77 से प्रावधानित है कि संस्थान में उपलब्ध उपकरणों द्वारा टेस्टिंग आदि का कार्य एवं संस्थान में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परामर्श का कार्य किया जा सकता है एवं इससे प्राप्त आय को संस्थान के खाते में जमा किया जा सकता है। इस प्रकार के आय का उपयोग केवल संस्थान के विकास कार्यों के लिए संस्थान के प्राचार्य द्वारा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की स्वीकृति से करने का निदेश है। परन्तु उक्त के बावजूद संस्थानों के परामर्श के कार्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है जिसके कारण एक आकर्षक एवं व्यावहारिक परामर्श नीति की आवश्यकता थी।

4. राज्य के अग्रणी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में परामर्श नीति के अंतर्गत परामर्श हेतु विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को विस्तृत रूप से चिन्हित किया गया है एवं उक्त चिन्हित गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध आय के एक हिस्से को संस्थान विकास निधि (Institute

Development Fund) के लिए कर्णांकित किया गया है एवं एक हिस्से को संकाय सदस्य एवं अन्य कर्मियों को उनकी सेवा हेतु भुगतान के लिए कर्णांकित है। राष्ट्रीय स्तर के उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों के परामर्श नीति का अध्ययन कर बिहार राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं एवं व्यावहारिकता को दृष्टिगत रख कर बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए परामर्श नीति तैयार किया गया है।

5. परामर्श नीति के अनुसार परामर्श सेवाएँ निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभक्त की गई हैः–

(क) श्रेणी I :	अनुसंधान एवं विकास परामर्शः यह एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित होगा।
(ख) श्रेणी II :	परीक्षण परामर्शः इसमें एक मानक के निमित नमूना/अवयव/उत्पाद का परीक्षण शामिल होगा। इसमें निर्माण में कंक्रीट की शक्ति का परीक्षण, मिट्टी की संघनन शक्ति, दबाव नापने के यंत्र का कैलीब्रेशन एवं रासायनिक पहचान शामिल होगा। इसके लिए संस्थान में परीक्षण सुविधाएँ एवं विशेषज्ञता का उपलब्ध होना अपेक्षित होगा।
(ग) श्रेणी III :	सेवा परामर्शः इसके अंतर्गत संसाधन व्यक्तियों, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं/सॉफ्टवेयर/हार्डवयेर एवं अन्य तकनीकी, भौतिक अवसंरचना का उपयोग क्लाईंट द्वारा किया जा सकेगा।
(घ) श्रेणी IV :	विनिर्माण परामर्शः इसमें लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए उत्पादों का विनिर्माण शामिल होगा, जो क्लाईंट द्वारा वित्तपोषित होगा और जिसके लिए संस्थान में आन्तरिक उपकरणों की विशेषज्ञता होगी।

6. क्लाईंट (सेवा प्राप्तकर्त्ता) से प्राप्त कुल निधि के वितरण के लिए विभिन्न प्रतिशत की गणना के मानक निम्नलिखित रूप में होंगेः–

विवरण	अनुसंधान एवं विकास परामर्श श्रेणी–I	परीक्षण परामर्श श्रेणी–II	सेवा परामर्श श्रेणी–III	विनिर्माण परामर्श श्रेणी–IV
क्लाईंट से प्राप्त कुल	X	X	X	X
कर एवं अन्य व्यय	Y	Y	Y	Y
शुद्ध राशि (कर एवं वास्तवित व्यय की कटौती के बाद) अर्थात् Z	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)
संस्थान का हिस्सा अर्थात् I	I=Z का 60%	I=Z का 70%	I=Z का 70%	I=Z का 70%
प्रधान परामर्शी/परामर्शी/स्टाफ/अन्य शेयर	Z का 40%	Z का 30%	Z का 30%	Z का 30%

उपर्युक्त रूप में प्राप्त धनराशि से संबंधित संस्थान एक कॉमन फंड तैयार करेगा, जिससे संस्थान विकास कोष (आई०डी०एफ०) तथा पेशेवर विकास कोष (पी०डी०एफ०) के बीच राशि का वितरण (सभी श्रेणियों के तहत परामर्श परियोजनाओं के लिए) संस्थान के हिस्से I का 80% एवं 20% के अनुपात में किया जायेगा। संस्थान विकास कोष में आवंटित राशि का उपयोग संबंधित संस्थान/विभाग में आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचे को विकसित करने तथा क्षमतावर्द्धन गतिविधियों के लिए किया जायेगा।

7. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए "परामर्श नीति" (Consultancy Policy) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए परामर्श नीति की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति अनुलग्नक–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

8. यह संकल्प मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.11.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–23 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 के पृ०–31/टि० पर प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/12/2023

(मो० इबरार आलम)
संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 **/पटना, दिनांक :–**6/12/23

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5/12/2023

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 **/पटना, दिनांक :–** 6/12/23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार,पटना/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/2023

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः– अपर सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक–06.11.2023 की बैठक में मद संख्या–23 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांकः– 6/12/23
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :– वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

परामर्श नीति

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

परामर्श नीति

1. भूमिका

संस्थान द्वारा परामर्श और परीक्षण संबंधी कार्य किये जाने से शैक्षणिक, अनुसंधान-विकास, नवाचार और उद्योग-संस्थान अंतःक्रिया के संदर्भ में संकाय सदस्यों के ज्ञान और क्षमताओं में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप संस्थान की गुणवत्ता और अन्य मानक भी प्रभावित होते है। इसके अलावा संस्थान के बुनियादी ढांचे जैसे कंप्यूटर, मशीन और उपकरण, आदि का उपयोग भी समुदाय और अन्य हितभागियों को सेवा प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित होता है।

इन सेवाओं को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के विकास और अन्य गतिविधियों जैसे सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, उद्यमी क्रियाओं, आदि के आयोजन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु एक कोष का निर्माण करना है। परामर्श कार्यों से, संस्थानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अनुकूल वातावरण बनेगा और संस्थान में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

अतः, अनुसंधान-विकास सहित अन्य परामर्श सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, द्वारा एक परामर्श नीति अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

2. परामर्श नीति का उद्देश्य

परामर्श नीति का उदेश्य, संस्थानों द्वारा आंतरिक राजस्व सृजन (आईआरजी) की दिशा में आत्म-निर्भरता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और संस्थानों और व्यक्तियों के लिए पर्याप्त लाभ के अवसर प्रदान करना है।

3. परामर्श नीति के फायदे

तकनीकी संस्थानों द्वारा की जाने वाली परामर्श गतिविधियाँ ज्ञान के प्रसार और समाज पर सीधा प्रभाव डालने हेतु एक प्रभावी तरीके के रूप में जानी जाती है। यह परामर्श सेवा संस्थानों और व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करेगा-

संस्थागत लाभ जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

- समाज और संस्थाओं / संगठनों के लिए तकनीकी सेवा
- आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व
- शैक्षिक कार्यक्रमों और अनुसंधान में वृद्धि
- कर्मचारियों की विशेषज्ञता बढ़ाना
- प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों/कर्मचारियों को संस्थान में बनाए रखना
- बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग

व्यक्तिगत लाभ जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

- अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सीखने की संभावना
- व्यापक पेशेवर हित
- प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता में वृद्धि

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

- दीर्घकालिक व्यवसायिक संबंध और नेटवर्किंग
- अतिरिक्त वित्तीय आय

4. परामर्श नीति की प्रयोज्यता

यह नीति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के तहत संचालित संस्थानों (राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पोलिटेकनिक संस्थानों) पर लागू होगी।

5. परिभाषाएं:

5.1 "क्लाइंट" का अर्थ होता है, एक व्यक्ति या एक संगठन या एक एजेंसी (सरकारी/ गैर-सरकारी) जिसके लिए परामर्श परियोजना होनी है या की गई है।

5.2 'सक्षम प्राधिकार" का अर्थ है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय या पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नामित व्यक्ति।

5.3 'परामर्श परियोजना' का अर्थ है, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा संस्थान के किसी संकाय सदस्य को पारस्परिक सहमति से काम करने के लिए दिया जाने वाला परामर्श कार्यभार / कार्य। इसमें सम्बंधित विभागाध्यक्ष या संस्थान के एक पदाधिकारी को निर्दिष्ट परामर्श कार्यभार / कार्य भी शामिल होगा जिसे किसी संकाय सदस्य द्वारा परामर्श परियोजना के रूप में लिया गया हो।

5.4 "परामर्शी" का अर्थ है 'बिहार राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेकनिक संस्थान का एक संकाय सदस्य या एक विभाग।

5.5 'विभाग' का अर्थ है संस्थान के सभी शैक्षणिक विभाग, शैक्षणिक केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र और शैक्षणिक सेवा केंद्र।

5.6 'कार्यकारी समिति (ईसी)' का अर्थ है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति।

5.7 'संकाय सदस्य' से अभिप्रेत है संस्थान में नियमित रूप से पदस्थापित शैक्षणिक संकाय सदस्य।

5.8 'शासी निकाय' का अर्थ है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित संस्थान विकास सोसाइटी का शासी निकाय।

5.9 'संस्थान विकास कोष (आईडीएफ)' का अर्थ है संस्थान विकास कोष के रूप में प्राप्त निधि या/और परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि, जिसका उपयोग संस्थान के विकास के लिए किया जाएगा।

5.10 "संस्थान" का अर्थ है बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय और सरकारी पोलिटेकनिक संस्थान।

5.11 'पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ)' का अर्थ है परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि जिसका उपयोग संस्थान के पेशेवर/ कर्मचारी विकास के लिए किया जाएगा।

5.12 'प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य' का अर्थ है बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय और सरकारी पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

5.13 "प्रधान परामर्शी "(पी.सी.) से अर्थ है अनुसंधान और परामर्श कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और क्षमता के साथ संस्थान के संकाय का एक सदस्य। सामान्य रूप से, संकाय सदस्य जो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और प्रायोजक के साथ वार्ता करते हैं और परियोजना वित्त पोषण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही प्रधान परामर्शी होते हैं ।

5.14 'परियोजना" का अर्थ है प्रायोजित अनुसंधान या संस्थान परियोजना या औद्योगिक परामर्श परियोजना या नियमित परीक्षण परियोजना या विनिर्माण सम्बन्धी परियोजनायें ।

5.15 'परियोजना कर्मचारियों' का अर्थ है, (क) परियोजना कर्मी और (ख) परियोजना अनुसंधान कर्मी जो निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप नियुक्त हुए हों।

5.16 'रूटीन परीक्षण परियोजना" का अर्थ उन परीक्षण कार्यों से है जहां विभाग द्वारा दरें तय की जाती हैं। इसमें सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधान परामर्शी होंगे।

5.17 'प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं" का अर्थ वैसी परियोजनाओं से है जो सरकार, सार्वजनिक, निजी, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रायोजित हों। परियोजना लागत, आम तौर पर प्रायोजक द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें मानव शक्ति, उपकरण का उपयोग, उपभोग्य वस्तु और संस्थान की सहायक सेवाओं के लिए खर्च शामिल है।

5.18 'प्रायोजक ' का अर्थ उस संगठन से है जो संस्थान को एक परियोजना की प्रदान करता है और समय पर परियोजना के सफल समापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

6 परामर्श सेवाओं के नियम और मानदंड

6.1 परामर्श सेवाओं का दायरा

परामर्श कार्यों के तहत निम्न सेवाएँ दी जा सकती है जो इन्ही तक सीमित नहीं है -

i. संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता के अनुरूप उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सरकारी विभागों और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परामर्श सेवाएँ ।

ii. प्रस्तावित परामर्श सेवाएं विभिन्न गतिविधियों जैसे व्यवहार्यता (फिज़िबिलिटी) अध्ययन, प्रावैधिकी आकलन, डिजाइन और/या वर्तमान विनिर्माण प्रक्रिया का आकलन, सामग्री, ऊर्जा, पर्यावरण और मानव शक्ति ऑडिट, उत्पाद डिजाइन, प्रक्रिया विकास, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर विकास, विध्न निवारण (ट्रबलशूटिंग), रेट्रोफिटिंग, वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों का विकास आदि में प्रदान की सकती हैं।

iii. परीक्षण (Testing) सेवाएं सामान्य रूप से चयनित विशेष क्षेत्रों में प्रदान की जानी हैं। क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए, नियमित परीक्षण सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है ।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

iv. मानकीकरण और कैलीब्रेशन सेवाएं उन क्षेत्रों में प्रदान की जा सकती हैं जिनमें सुविधाएं उपलब्ध हैं या संवर्धित की जा सकती हैं। ऐसी सेवाओं में सामान्य रूप से प्रयोगशाला उपकरणों के आवधिक कैलीब्रेशन/ मानकीकरण किया जाना चाहिए।

6.2 परामर्श सेवा के प्रकार:

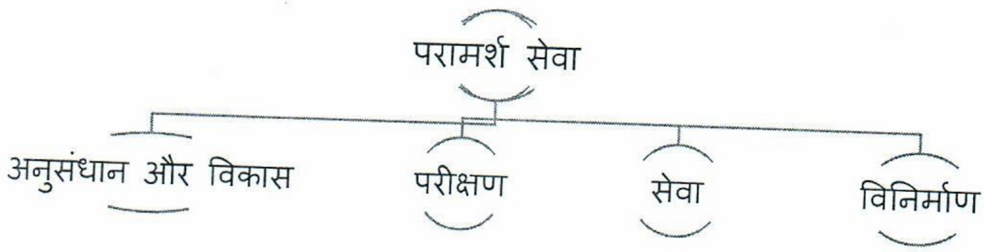

क) श्रेणी I : अनुसंधान एवं विकास परामर्श : इस प्रकार का परामर्श एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित होगा।

ख) श्रेणी II : परीक्षण परामर्श - इस प्रकार के परामर्श में एक मानक के निमित्त नमूना/अवयव /उत्पाद का परीक्षण शामिल होगा | इसमें निर्माण में कंक्रीट की शक्ति का परीक्षण, मिट्टी की संघनन शक्ति, दबाव नापने के यंत्र का कैलीब्रेशन और रासायनिक पहचान, किया जाना शामिल होगा। संस्थान परीक्षण कार्य करेगा, बशर्ते परीक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञता संस्थान में उपलब्ध हों।

ग) श्रेणी III: सेवा परामर्श:- इस प्रकार के परामर्श में संसाधन व्यक्तियों, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और अन्य तकनीकी, भौतिक अवसंरचना का उपयोग क्लाइंट द्वारा किया जा सकेगा । उदाहरण के लिए, बाहरी छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि द्वारा सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का उपयोग या प्रशिक्षण, ऑनलाइन / ऑफलाइन परीक्षाओं या परीक्षणों के संचालन, और अन्य क्षमता निर्माण और / या ई-सेवाओं के लिए संस्थान के तकनीकी मानवबल / कंप्यूटर और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग।

घ) श्रेणी IV: विनिर्माण परामर्श: - इस प्रकार के परामर्श में लघु सूक्ष्म और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उत्पादों का विनिर्माण शामिल होगा, जो क्लाइंट द्वारा वित्तपोषित होगा और जिसके लिए संस्थान में आंतरिक उपकरणों की विशेषज्ञता होगी। संस्थानों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करें और ऐसी संभावनाओं का पता लगाएं।

6.3 परामर्शी कौन हो सकता है?

वैसे पूर्णकालिक नियमित संकाय सदस्य, जिनके पास अनुसंधान और विकास, प्रकाशन, परीक्षण, उपकरण या अग्रणी विनिर्माण कार्यों से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और व्यावहारिक अनुभव हो, परामर्शी हो सकते हैं ।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

7 सामान्य दिशानिर्देश

i. सक्षम प्राधिकार की अनुमति से परामर्श/परीक्षण कार्य किसी भी संकाय सदस्य द्वारा किया जा सकता है, जिसमें प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य भी शामिल हैं। ऐसे कार्य की अनुमति इस शर्त के साथ ली जानी होगी कि संकाय सदस्यों को ऐसे परामर्श/परीक्षण कार्यों में उसी हद तक सम्बद्ध किया जायेगा जिससे उनके शैक्षणिक और / या संस्थान के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता हो।

ii. वैसे सभी परामर्श कार्य, चाहे उसके निष्पादन में किसी व्यक्ति या संकाय सदस्य परामर्शियों के समूह द्वारा संस्थान की सुविधाओं का उपयोग किया गया हो /नहीं किया गया हो, उस संस्थान का परामर्श कार्य माना जायेगा ।

iii. संस्थान के स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा बशर्ते यह संस्थान के लिए उनके प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारियों को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं करे ।

iv. यदि प्रधान परामर्शी (पीसी) संस्थान छोड़ देता है या छुट्टी पर चला जाता है या किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है (बाध्यकारी परिस्थितियां/गंभीर बीमारी), तो नए पीसी की नियुक्ति, सक्षम प्राधिकार द्वारा परामर्श नियमों के पात्रता एवं मानदंड के अनुरूप प्रायोजक से परामर्श और नए पीसी की लिखित सहमति के उपरांत किया जा सकेगा।

v. संस्थान के किसी भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को परामर्शी के रूप में एक नया परामर्श परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि परियोजना की अवधि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे है।

vi. प्रधान परामर्शी परियोजना कार्य के लिए छात्र सहायकों के रूप में संस्थान के छात्रों (जो फैलोशिप/अस्सिस्टेंटशिप प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं) को संलग्न कर सकते हैं। ऐसे मामलों में मानदेय का निर्धारण सक्षम प्राधिकार और संबंधित पीसी द्वारा परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाएगा। विनिर्माण कार्य के मामले में, सीखने का स्तर सुधारने हेतु छात्रों का उपयोग परामर्श परियोजना के संसाधन के रूप में किया जाएगा और उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

vii. विभाग के प्रमुख (एचओडी) द्वारा हस्ताक्षर के लिए अग्रसारित किए गए प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

viii. विनिर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव, सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा इन-हाउस संसाधनों और वित्तीय उपलब्धता, के प्रमाण के साथ सक्षम प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

ix. संस्थान के मानव संसाधन का उपयोग सभी प्रकार के परामर्श कार्यों के लिए किया जाएगा, हालांकि, बाहरी संसाधनों को केवल असाधारण आवश्यकता के मामले में काम पर रखा जाएगा, जिसे संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

x. प्रत्येक परामर्श परियोजना संस्थान की जिम्मेदारी होगी न कि किसी व्यक्ति की।

xi. परियोजना कार्य के पूरा होने के पश्चात, प्रधान परामर्शी द्वारा खरीदे गए उपकरण या किसी प्रायोजित एजेंसी द्वारा दिया गया सामान, संस्थान की संपत्ति होगी।

xii. परीक्षण और सर्विस सम्बन्धी परामर्श कार्यों के लिए मशीन/उपकरण /सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का उपयोग केवल संस्थान के परामर्शी द्वारा ही किया जायेगा क्लाइंट/प्रायोजक द्वारा नहीं।

xiii. परियोजना के संचालन का पूरा खर्च प्रायोजक एजेंसी द्वारा पूरा किया जायेगा ।

xiv. परामर्श कार्य से सम्बंधित भुगतान संस्थान के नाम पर होगा, जो नियमों के अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाई करने के पश्चात संकाय सदस्य /कर्मचारी को परामर्श कार्य लिए मानदेय देगा।

xv. परियोजना से प्राप्त रिपोर्ट और डेटा, प्रायोजक और परामर्शियों की संयुक्त बौद्धिक संपदा होगी, जिनका उपयोग प्रायोजक द्वारा किया जा सकेगा और जिसे बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्व सहमति के किसी तीसरे पक्ष को उजागर नहीं किया जा सकेगा।

xvi. परियोजना के पूरा होनें के बाद समापन (कंप्लीशन) रिपोर्ट वित्त पोषण एजेंसी को सौंपी जाएगी ,जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए सक्षम प्राधिकार के कार्यालय को भी दी जाएगी ।

xvii. परियोजना के सफल समापन के पश्चात वित्त पोषण एजेंसी से एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा जिसके आधार पर परियोजना का खाता बंद किया जाएगा।

xviii. परियोजनाओं के तहत सभी क्रय बिहार वित्तीय नियमों (बीएफआर) के अनुसार की जाएगी। उपकरणों के मामले में, जो बाहर ले जाना है, उन्हें लेने से पहले उनका बीमा कराया जाना आवशयक होगा ।

xix. यदि किसी परियोजना के संबंध में किसी स्टाफ/सदस्य के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी द्वारा कदाचार और/या कदाचार का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकार, संबंधित स्टाफ सदस्य को प्रधान परामर्शी या परामर्शी के रूप में किसी नई परियोजना में भाग लेने पर तब तक रोक लगा सकता है, जब तक कि इस मामले में सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता। तथापि, ऐसे मामलों में संबंधित स्टाफ/सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जिस मौजूदा परियोजना से जुड़ा हुआ है, उसमें अपने दायित्वों को पूरा करें, ताकि मौजूदा परियोजनाओं और प्रायोजक के प्रति दायित्वों को नुकसान न हो।

xx. संस्थान के कार्यालय द्वारा परियोजनाओं का लेखा-जोखा रखा जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

शासी निकाय की मंजूरी के बाद संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति (ईसी) इस नीति के किसी प्रावधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

8 परामर्श कार्य से सम्बंधित यात्रा

परामर्श परियोजना से जुड़े कार्य हेतु यात्रा के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:

i. सम्बंधित विभाग/कार्यालय के प्रमुख को पूर्व सूचना तथा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत ही परामर्श कार्यों से जुड़े आउटस्टेशन यात्रा की जाएगी। अगर प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य स्वयं परामर्श कार्य का नेतृत्व कर रहे हों, तो उन्हें विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए नामित सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ii. संस्थान से अनुपस्थिति की अवधि को कम करने के उद्देश्य से यात्रा के सुगम और न्यूनतम दुरी वाले रास्ते का चुनाव किया जाना चाहिए ।

iii. बिहार सरकार के नियमों एवं परामर्शी की पात्रता के अनुरूप टीए-डीए, बोर्डिंग और ठहरने, आदि का खर्च अनुमान्य होगा। विशेष परिस्थिंति में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन एवं परामर्श कार्य की महत्ता एवं क्लाइंट की सहमति के आधार पर परामर्शी अपनी पात्रता से हटकर वास्तविक आधार पर मूल टिकट/विपत्र उपस्थापित करने पर टीए-डीए का दावा कर सकता है। इन सभी खर्चों को संबंधित परामर्श परियोजना निधियों से पूरा किया जाएगा।

9 दस्तावेज़ीकरण

प्रधान परामर्शी द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा और जब भी आवश्यक हो, उपस्थापित किया जाएगा:

(क) उपस्थिति रिकॉर्ड: परामर्शी, सहायक स्टाफ आदि की उपस्थिति रिकॉर्ड, परामर्श कार्य के दौरान किये गए व्यक्तिवार कार्य घंटा शामिल होगा।

(ख) निरीक्षण/साइट विजिट रजिस्टर: प्रधान परामर्शी द्वारा किसी भी साइट विजिट को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। क्लाइंट की टिप्पणियों के साथ-साथ साइट विजिट के दौरान परामर्शी द्वारा दिए गए सुझावों को भी रिकॉर्ड किया जायेगा। इसके अलावा, यदि परामर्श परियोजना के दौरान किसी बाहरी विशेषज्ञ द्वारा किसी विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है, तो उसे भी परामर्शी की टिप्पणियों के साथ ही दर्ज किया जायेगा।

(ग) भुगतान रिकॉर्ड: परामर्शी, सहायक कर्मचारियों आदि को किया गया भुगतान रिकॉर्ड किया जायेगा ।

(घ) उपभोग्य और गैर-उपभोग रजिस्टर: सभी उपकरणों, सामग्रियों, सभी उपभोग्य वस्तुओं, गैर-उपभोग वस्तुओं आदि के किराए पर लिए जाने/खरीद दर्ज करने के लिए रजिस्टर और इसका उपयोग रिकॉर्ड किया जायेगा ।

(ङ) यात्रा रिकॉर्ड रजिस्टर: यात्रा पर किए गए सभी व्यय का विवरण दर्ज किया जायेगा ।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

(च) समझौता/अनुबंध फाइल: सभी समझौतों, संविदाओं, ड्राइंग और ऐसे दस्तावेजों जिसकी क़ानूनी आवश्यकता हो सकती है का पूर्ण रिकॉर्ड रखना ।

(छ) आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

10 परामर्श निधियों के बजटीय मानदंड और वितरण

संस्थान को परामर्श कार्य से संबंधित सभी भुगतान 'परामर्श सेवा' के मद में प्राप्त होंगे। परामर्श कार्य के लिए फण्ड का परिचालन, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा जैसा संस्थान विकास समिति की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित होगा, किया जाएगा। क्लाइंट से प्राप्त कुल निधि के वितरण के लिए विभिन्न प्रतिशत की गणना के मानक इस प्रकार होंगे:

विवरण	अनुसंधान और विकास परामर्श श्रेणी - I	परीक्षण परामर्श श्रेणी - II	सेवा परामर्श श्रेणी - III	विनिर्माण परामर्श श्रेणी - IV
क्लाइंट से प्राप्त कुल राशि	X	X	X	X
कर और अन्य व्यय	Y	Y	Y	Y
शुद्ध राशि (कर और वास्तविक व्यय की कटौती के बाद) अर्थात Z	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)
संस्थान का हिस्सा – I	I = 60% of Z	I = 70% of Z	I= 70% of Z	I= 70% of Z
प्रधान परामर्शी / परामर्शी / स्टाफ / अन्य शेयर	40% of Z	30% of Z	30% of Z	30% of Z

11 संस्थान का हिस्सा (I) का वितरण

संस्थानों द्वारा प्राप्त धनराशि संस्थान के साथ-साथ पेशेवरों को विकसित करने के लिए एक कॉमन फण्ड तैयार करेगी। संस्थान को परामर्श कार्यों से प्राप्त राशि, संस्थान विकास कोष (आईडीएफ) और पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ) के बीच निम्नलिखित तालिका के अनुसार वितरित किया जाएगा:

विवरण	संस्थान विकास कोष (आईडीएफ)	पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ)
श्रेणी I, II, III और IV के तहत परामर्श परियोजनाएं	80% of I	20% of I

आईडीएफ के रूप में आवंटित राशि का उपयोग संस्थान/विभाग हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

(क) यंत्र /उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय,

(ख) मरम्मत और रखरखाव और एएमसी सम्बंधित आवश्यकता, उपकरणों का फेब्रिकेशन

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

(ग) कार्यालय और प्रयोगशाला की मरम्मत और रखरखाव,

(घ) सम्मेलन/कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने के लिए सीड मनी

(ङ) उपकरणों का कैलिब्रेशन

(च) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से संबंधित आवश्यकताएं और संस्थान के लिए देश में लागू मानक रैंकिंग सिस्टम के आलोक में रैंकिंग में सुधार।

पीडीएफ के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग इस प्रकार के परामर्श कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार देने के लिए किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे, पर यह सीमित नहीं होगा:

(क) संकाय सदस्यों और संस्थान के अन्य स्थायी कर्मियों का क्षमता निर्माण।

इसके अलावा, संस्थान विकास सोसायटी की कार्यकारी समिति, संस्थान को प्राप्त राशि के बजट एवं इसके उपयोग सम्बंधित प्रक्रिया का निर्धारण /संशोधन एवं अनुमोदन करने के लिए ज़िम्मेवार होगी।

12. परामर्श कार्यों का समापन

परामर्श परियोजना कार्य को किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन का नोटिस देने के बाद समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, दोनों पक्ष परियोजना से सम्बंधित शेष दायित्वों को पूरा करेंगे (यदि कोई हो)।

13. विवाद का समाधान

परियोजना से संबंधित विवादों का दोनों पक्षों/संगठनों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो, ऐसे मामले में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीएसटीटीइ) का निर्णय अंतिम होगा।

14. परामर्श नीति की समीक्षा

इस नीति की समीक्षा तीन वर्ष में एक बार अथवा परामर्श कार्य में संबंधित उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कभी भी जा सकती है।

15. परामर्श नीति का संरक्षक

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, इस नीति का संरक्षक होगा।

5/12/2023

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

CONSULTANCY POLICY

FOR ENGINEERING COLLEGES & POLYTECHNIC INSTITUTES

Department of Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar

Consultancy Policy

1. Preface

It is recognized that the consultancy and testing services lead to increased knowledge and capabilities of the faculty in terms of academic, Research- Development, innovation, and Industry-Institute interaction, which can in turn, influence the overall quality and standard of the institute. Further, it will also leverage utilizing the Institution's infrastructure such as computers, machines, and equipment to serve the community and other stakeholders.

The purpose to start these services is to create a fund to provide additional support to the Institutions for its development and activities like holding conferences, workshops, seminars, entrepreneurial activities, etc. It will also provide an enabling environment towards self-sustainability and ensure optimum utilization of infrastructure and resources available in the Institution.

Therefore, a consultancy policy is required to be notified by the Department of Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar to cater to the need related to consultancy services including Research & Development.

2. Objective of the Consultancy policy

To create an ecosystem of self-sustainability towards Internal Revenue Generation (IRG) and provide an opportunity for the substantial benefits for the institutes and individuals.

3. Benefits of the consultancy

The consultancy activities are well recognized as an effective way for technical institutions to disseminate knowledge and make a direct impact on society. The consultancy will provide following opportunity for the institutions and individuals-

Institutional benefits included but not limited to-

- Technical service to society and institutions/organization
- Revenue generation for self-sustainability
- Enhancement of academic programs and research
- Enhance staff expertise
- Retention of talented staffs/faculty
- Optimum use of Infrastructure and other resources

Individual benefits included but not limited to-

- Potential learning through research activities
- Broader career interest
- Enhance reputation and expertise
- Sustained business relationships and networking
- Extra financial income

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

4. Applicability of Consultancy policy

This policy will be applicable only for Institutions (Government Engineering Colleges & Polytechnic Institutes) under Department of Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar.

5. Definitions

5.1 **'Client'** means an Individual or an Organization or an Agency for whom the consultancy project is to be or has been undertaken.

5.2 **'Competent authority'** means the Principal of the Government Engineering Colleges or Polytechnic Institutes or a person designated by the Department of Science, Technology and Technical Education , Government of Bihar.

5.3 **'Consultancy Project'** means consultancy assignment/job given by an outside agency to any faculty of the Institute for work within mutually agreed scope. It will also include a consultancy assignment/job referred to the Head of the Department or a functionary of the Institute which may be taken up as a Consultancy Project by faculty.

5.4 **'Consultant'** Consultant is a faculty or a Department in the Engineering Colleges and Polytechnic Institutions in the State of Bihar.

5.5 **'Department'** means all the academic departments, academic centers, centers of excellence and academic service centers at the Institute.

5.6 **'Executive Committee' (EC)** means the Executive Committee of the Institute Development Society constituted under Society Registration Act 1860.

5.7 **'Faculty Member'** means a regular teaching faculty posted in the College/Institute.

5.8 **'Governing Body' (GB)** means the Governing Body of the Institute Development Society, constituted under Society Registration Act 1860.

5.9 **'Institute Development Fund (IDF)** means a fund received in form of Institute Development Fund or/and received against consultancy projects and shall be used for the development of the Institution.

5.10 **'Institute'** means Government Engineering Colleges and Government Polytechnic Institutions of Bihar.

5.11 **'Professional Development Fund (PDF)** means a fund received against consultancy projects and shall be issued for the development of professional/s of the institute.

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

5.12 'Principal' means Principal, of the Government Engineering Colleges and Government Polytechnic Institutions of Bihar.

5.13 Principal Consultant' (P.C.) is a member of the faculty of the Institute with necessary expertise and competence to conduct Research and consultancy work. Normally, the faculty who submits the project proposal and negotiates with the sponsor and is instrumental in getting the project funding is the Principal Consultant.

5.14 'Project' implies sponsored Research or Institute projects or Industrial consultancy projects, projects related to manufacturing and routine testing.

5.15 'Project Staff' means a person appointed in conformity with the guidelines to work on a project covering (a) project staff and (b) project Research staff.

5.16 'Routine Testing project' implies those testing works where the rates are fixed by the department. The concerned Head of the Department will be the Principal Consultant.

5.17 'Sponsored Research Projects' means Research Projects sponsored by Government, public, private, National/International Agencies and Autonomous bodies. Generally, the project cost including expenditure towards manpower, usage of equipment, consumables and supporting services of the Institute is borne by the sponsor.

5.18 'Sponsor' means the organization that offers a Project to the Institute and provides necessary financial support for successful completion of the project in time.

6. Consultancy Rules and Norms

6.1 Scope of Consultancy Services

The scope of consultancy services may be offered but not limited to the following -

a) Consultancy Services may be offered to Industries, Service Sector, Government Departments, and other National and International agencies in areas of expertise available in the Institute.

b) Consultancy services offered may cover a variety of activities such as Feasibility Studies; technology assessments; assessment of designs and / or current manufacturing process; material, energy, environmental and manpower audits; product design; process development, hardware / software development; general troubleshooting, retrofitting exercises, development of commercial courses etc.

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

c) Testing services are to be normally offered in selected specialized areas. To meet the needs of clients, routine testing services may also be offered.

d) Standardization and Calibration services may be offered in areas in which facilities are available or can be augmented. Such services should normally be backed by periodic Calibration / Standardization of laboratory equipment used for such purposes.

6.2 Type of consultancy services

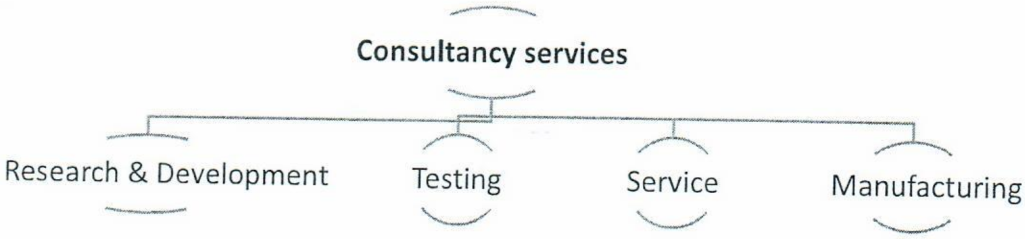

a) **Category I**: Research & Development Consultancy: - This type of consultancy will be based on individual expertise and skills in a certain area.

b) **Category II**: Testing Consultancy: - This type of Consultancy will involve testing of sample/component/product against a standard such as testing the strength of concrete in construction, compaction strength of soil, calibration of pressure gauges. The Institute will undertake testing jobs provided testing facilities and expertise are available in the Institute.

c) **Category III**: Service Consultancy: - This type of consultancy will involve use of Resource persons, Computational facilities / Software / Hardware, and other technical, physical infrastructure by the client. For example, use of software/hardware by outside students, Researchers, Scientists, Engineers, etc. OR use of technical manpower/ computers and other Infrastructure of the Institute for training, conduct of online / offline examinations or tests; and other capacity building and/or e-services.

d) **Category IV**: Manufacturing consultancy: - This type of consultancy will involve manufacturing of products for the Micro Small and Medium-size Enterprises (MSME) subject to the funding by the client and having expertise supported by in-house equipment with-in the Institute. The institutions may be requested to do study to the nearby areas and explore such possibilities.

6.3 Who can be consultant?

Full time regular faculty, having required Academic qualification and proven practical experience with credentials related to R&D, publications, testing, handling equipment or leading manufacturing works.

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

7. **General Guidelines:**

i. The Consultancy/ testing jobs can be taken up by any faculty member, including the principal, with the prior approval of the competent authority provided that the engagement of the members in such jobs can be taken up to such an extent that it does not interfere with the discharge of their academic and/or other duties of the Institute.

ii. All consultancies, whether carried out by an individual or a group of faculty consultants and irrespective of the quantum of facilities of the Institute availed, is considered as Institute Consultancy.

iii. The services of permanent employees of the Institute will be utilized for the execution of the consultancy projects provided it does not affect at any cost their primary functions and responsibilities to the institute.

iv. If the Principal Consultant leaves the Institute or proceeds on leave or is not available for any reason (exigency / critical illness), the competent authority will appoint a new PC in consultation with the client subject to the eligibility criteria of the consultancy rules and the written consent of new PC.

v. No retiring employee of the Institute will be allowed to submit a fresh consultancy project proposal as a consultant if the duration of the project is beyond his/her date of retirement.

vi. The Principal Consultant may engage Institute Students (who may or may not be getting fellowship/ assistantship) as student assistants for the project work. The honorarium in such cases shall be fixed for by the competent authority and concerned PC as per available resources within the project. In case of manufacturing assignment, the students shall be used as a resource to enhance learning-level to the consultancy project and shall not be given any honorarium.

vii. The proposal should be submitted to the competent authority after getting it forwarded by the Head of the Department (HoD) for signature.

viii. For manufacturing projects, concerned Head of the Department shall forward the proposal to the competent authority with a certification about availability of in-house resources and funding.

ix. Human resources of the institute shall only be utilized for all types of consultancy work, however, outside resources shall be hired only in case of extraordinary requirement which will be duly approved by the Executive Committee of the Institute Development Society.

x. Each consultancy project will be the responsibility of the Institute and not of

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

any individual.

xi. Equipment/s, goods purchased by the Principal Consultant or provided by a sponsored agency, shall be the property of the institute after completion of the project/s.

xii. Under testing and service consultancy, the machine/equipment's/ software/ hardware will be used only by the consultant (s) not by the client.

xiii. The entire expenditure for the operation of the project is required to be met by the sponsoring agency.

xiv. Payments should come in the name of the Institute, which will then do the needful for complying with statutory laws and then give the honorarium to the faculty/staff.

xv. Report(s) and data collected/ originated out of the project are the joint Intellectual Property of the sponsor and the consultants which can be used by the sponsor for its own use only and cannot be disclosed to a third party without prior consent of the competent authority.

xvi. After completion of the project, a final report should be submitted to the funding agency, a copy of which is given to the competent authority's office for records.

xvii. A completion certificate should be obtained from the funding agency for successful completion of the project based on which project account will be closed.

xviii. All purchases under projects shall be made as per the Bihar Financial Rules (BFR). In case of equipment, which is to be carried outside, the same should be insured before they are taken out.

xix. If a prima-facie case of malpractice and/or misconduct is established by a fact-finding committee against a staff member in connection with project(s), the competent authority, may prohibit the concerned staff member to take part in any new project either as Principal Consultant or consultant, till such time that a final decision is taken by the appropriate authority in the matter. However, in such cases the concerned staff member will be expected to complete his/her obligations in the on-going project(s) with which he/she is connected, in order that the on-going projects and obligations to the sponsor do not suffer.

xx. The account of Projects will be maintained by the Institute Office and controlled by the competent authority.

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

The Executive Committee (EC) may frame/amend any provision of the policy after approval of the Governing Body of the Institute Development Society.

8. **Travel**

Travel under any consultancy assignment will have following norms:

i. Outstation travel on Consultancy Assignments will be undertaken with the prior approval of the competent authority under intimation to the Head of the Department / Office concerned. In that case when the principal himself is leading the consultancy, she/he shall take prior approval of the competent authority designated for this purpose as per Department's guidelines.

ii. The most expeditious and convenient mode of travel should be used to minimize periods of absence from the Institute.

iii. TA-DA, expenses towards boarding and lodging, etc. as per entitlement of the consultant shall be admissible as per Government of Bihar norms. However, depending on the urgency of the consultancy work and the consent of the client and approval of the competent authority the consultant(s) may claim TA-DA irrespective of his / her entitlement as per actual on the production of original tickets / bills. All these expenses will be met out of the concerned consultancy project funds.

9. **Documents to be maintained**

Following documents will be maintained by the Principal Consultant through his team members and produced as and when required:

a. **Attendance Records**: Attendance record of the Consultant(s), supporting staff etc. with man-hours spent during the consultancy work.

b. **Inspection / Site Visit Register**: A register to record any site visit by the Consultant(s) be maintained by the Principal Consultant. The suggestions rendered by the Consultant(s) during site visit along with remarks of the clients must be recorded. Further, if any expert advice by an external expert is required during the Consultancy project, the same may also be recorded along with the remarks of the consultant(s).

c. **Payment Record**: To record all payments made to consultant(s), supporting staff etc.

d. **Consumable and Non-Consumable Register**: Register for recording hire/purchase of all equipment, materials, all consumables, non-consumables items etc. and its utilization.

e. **Travel Record Register**: To record details of all expenditure incurred on travel.

f. **Agreement/Contract File**: To maintain complete record of all agreements, contracts, drawings, and such documents which may constitute legal requirement.

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

g. Any other document/s as required.

10. Budgetary norms and distribution of Consultancy funds

All payments related to Consultancy work will be received by the Institute under separate head "Consultancy Services". The funds for Consultancy work will be operated by the competent authority of the Institute or as decided by the Executive Committee of the Institute. The norms for calculation of various percentages for distribution of the total fund received from client will be as follows:

Particulars	Research & Development projects Category - I	Testing projects Category - II	Services Category III	Manufacturing Category - IV
Total money received from client	X	X	X	X
Tax and other expenditure	Y	Y	Y	Y
Net amount (after deduction of tax and actual expense incurred) i.e Z	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)
Institute share – I	I = 60% of Z	I = 70% of Z	I = 70% of Z	I= 70% of Z
Principal Consultant/ Consultant/staff/ others share	40% of Z	30% of Z	30% of Z	30% of Z

11. Distribution of Institute share (I):

Funds obtained by institutes will create a common pool to develop Institutes as well as professionals. Institute share will be distributed between Institute Development Fund (IDF) and Professional Development Fund (PDF) as per the below table:

Particulars	Institute Development Fund (IDF)	Professional Development Fund (PDF)
Consultancy projects under category I, II, III and IV	80% of I	20% of I

The IDF will be used for the purpose of development of required infrastructure in the institute/department. This will include but not limited to-

a. Purchase of instruments/equipment/ furniture,
b. Repair and maintenance and AMC requirement, fabrication of equipment
c. Repair and maintenance of office and lab,

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

d. Seed money for holding conferences/workshops and seminars,

e. Calibration of instruments

f. Requirements related to National Board of Accreditation (NBA) and improvement of ranking as per standard ranking system applicable in the country.

The PDF will be used to support and expand the ecosystem of the individuals related to such consultancy work. This will include but not limited to:

a. Capacity Building of Faculty and other permanent employ of the Institute.

Moreover, the Executive Committee of the Institute Development Society shall be responsible to frame/amend & approve budget and utilisation mechanism of the Institute fund.

12. Termination

The consultancy project work can be terminated by either party after giving 30 days of notice. However, both parties will meet residual obligations in connection with the project, if any.

13. Resolution of dispute

Disputes related to project/s, if any, will be settled cordially by both parties/organisations. If in case of any dispute the decision by the Department of Science, Technology and Technical Education (DSTTE) shall be the final.

14. Review

The policy may be reviewed once in three year or any time as per the emerging needs related to consultancy work.

15. Custodian of the policy

The Department of Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar, shall be the custodian of this Policy.

संयुक्त-सचिव

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग